रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2019/भाद्र 4, 1941
No. 263] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2019/ BHADRA 4, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2019

सं. 27/2015—2020

विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2015—20 के अध्याय 6 के पैरा 6.34(14) में संशोधन के संबंध में।

फा.सं. 01/92/180/27/एएम—19/पीसी—VI.—समय—समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015—20 के अध्याय 6 के पैरा 6.34(14) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

पैरा सं.	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
6.34(14)	**पंजीकरण—सह—सदस्यता प्रमाण पत्र** "निर्यातोन्मुख इकाई/ईएचटीपी/ एसटीपी /बीटीपी यूनिटों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रुप में काम करना। मसालों के मामले को छोड़कर, विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.44 में दिए गए प्रावधान के अनुसार इनके मामलों में अलग से पंजीकरण—सह—सदस्यता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मसालों के मामले में, इकाइयों को मसाला बोर्ड के पास भी स्वयं को पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा।"	**पंजीकरण—सह—सदस्यता प्रमाण पत्र** "ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रुप में काम करना। विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.55 में दिए गए प्रावधान के अनुसार इनके मामलों में अलग से पंजीकरण—सह—सदस्यता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।"

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः सार्वजनिक सूचना सं. 44/2015–20 दिनांक 05.11.2018 द्वारा निर्यातोन्मुख इकाईयों हेतु ईपीसीईएस को एक पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में मान्यता दिए जाने के मद्देनजर विकास आयुक्त द्वारा पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु उसकी भाक्तियों में परिणामी संशोधन किया जाता है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक,
विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th August, 2019

No. 27 /2015.2020

Subject: Amendment in Para 6.34(14) of Chapter 6 of Handbook of Procedure 2015-20 - reg.

F. No. 01/92/180/27/AM19/PC-VI.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Para 6.34(14) of Chapter 6 of HBP 2015-20

Para No.	Existing Provision	Proposed Amendment
6.34(14)	**Registration-cum - Membership Certificate:** “Function as a Registering authority for EOU / EHTP / STP / BTP unit. A separate Registration -cum - Membership Certificate shall not be required in their cases as provided for in Paragraph 2.44 of FTP except in case of spices. In case of spices, it would be mandatory for units to get themselves registered with Spices Board also”.	**Registration-cum- Membership Certificate:** “Function as a Registering authority for EHTP / STP / BTP unit. A separate Registration – cum – Membership Certificate shall not be required in their cases as provided for in Paragraph 2.55 of FTP.”

Effect of this Public Notice: Consequential amendment is made in the powers of Development Commissioner to act as a registering Authority in view of EPCES being recognised as a registering authority for EOUs vide Public Notice no. 44/2015-20 dated 05.11.2018..

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.08.27 21:53:19 +05'30'